पत्रांक–अ०सं०क०–07–म०–06 / 2022.......................... /

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

शाहिद परवेज
विशेष सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक......................

विषय : **वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत मदरसा जामियाँ इस्लामियाँ, माधोपुर, मधुमालत, थाना+पो0–तुरकौलिया, जिला–पूर्वी चम्पारण में 02 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, सीढ़ी, कमरा एवं बरामदा, 06 अद्द शौचालय, 02 अद्द स्नान घर, सेफ्टी टैंक एवं सोख्ता का निर्माण कार्य हेतु स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना) को द्वितीय किस्त के रूप में राशि ₹32,67,465 / – (बतीस लाख सड़सठ हजार चार सौ पैसठ रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

महाशय,

बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना अन्तर्गत मदरसा जामियाँ इस्लामियाँ, माधोपुर, मधुमालत, थाना+पो0–तुरकौलिया, जिला–पूर्वी चम्पारण में 02 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, सीढ़ी, कमरा एवं बरामदा, 06 अद्द शौचालय, 02 अद्द स्नान घर, सेफ्टी टैंक एवं सोख्ता का निर्माण कार्य हेतु स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना) द्वारा प्राक्कलित राशि ₹43,91,000 / – (तैंतालीस लाख इक्कानवे हजार रूपये) मात्र का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया था। उक्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर निर्माण कार्य हेतु ₹43,91,000 / – (तैंतालीस लाख इक्कानवे हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–84, दिनांक–14.05.2025 के द्वारा राशि ₹11,00,000 / – (ग्यारह लाख रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई थी। कार्य प्रगति के आधार पर स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना) को द्वितीय किस्त के रूप में राशि ₹32,67,465 / – (बतीस लाख सड़सठ हजार चार सौ पैसठ रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त राशि ₹32,67,465 / – (बतीस लाख सड़सठ हजार चार सौ पैसठ रूपये) मात्र बजट माँग संख्या–30 मुख्य शीर्ष 4225–अनु० जातियों, अनु० जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत, उपमुख्य शीर्ष 04–अल्पसंख्यकों का कल्याण, लघु शीर्ष 051–निर्माण, उपशीर्ष 0102–बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना, विस्तृत शीर्ष –53–मुख्य कार्य, विषय शीर्ष –01–मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड–30–4225040510102 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में विकलनीय होगा।

3. इस योजना का क्रियान्वयन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना)द्वारा किया जाएगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹32,67,465 / – (बतीस लाख सड़सठ हजार चार सौ पैसठ रूपये) मात्र Bihar Local Area Development Agency (BLADA), योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पी०एल० खाता में विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा BTC Form-46 में विपत्र तैयार कर CFMS के माध्यम से अंतरित की जायेगी। पी०एल० खाता से संबंधित विवरण निम्नलिखित है :–

(कृ०पृ०उ०)

PL Code :- PTSPLA011
PL Name :- Bihar Local Area Development Agency (BLADA)
योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना
Ledger Id :- 20162

5. BLADA द्वारा स्वीकृत्यादेश में सन्निहित राशि की निकासी एवं उपयोग वित्त विभाग के द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. उक्त योजना बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना की मार्गनिर्देशिका के अनुसार क्रियान्वित किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 वि०(2), दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.98 में यथा संशोधित वर्णित आदेशों/निर्देशों का अनुपालन कार्यकारी एजेंसी द्वारा किया जाना आपेक्षित होगा।

9. उपर्युक्त पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

10. योजना के क्रियान्वयन में बिहार PWD संहिता एवं वित्त विभागीय पत्रांक–4989/वि० दिनांक–16.05.2013 तथा संबंधित अन्य अद्यतन परिपत्र/आदेश की सभी कंडिकाओं का अनुपालन संबंधित कार्यकारी एजेंसी द्वारा आपेक्षित होगा।

11. कार्यकारी एजेंसी द्वारा उक्त योजना के लिए स्वीकृत राशि के विरूद्ध व्यय की गई राशि का निर्माण कार्य के उपरांत उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. वित्त विभाग के द्वारा इससे संबंधित सभी अद्यतन निदेश/आदेश का अनुपालन किया जाना संबंधित कार्यकारी एजेंसी द्वारा आपेक्षित होगा।

13. कार्य की प्रगति की समीक्षा संबंधित जिला पदाधिकारी/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, पूर्वी चम्पारण के द्वारा की जायेगी एवं समय–समय पर प्रगति प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जायेगा।

14. उपर्युक्त पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–
विशेष सचिव

ज्ञापांक–अ०सं०क०–07–म०–06/2022........................../ पटना, दिनांक...........
प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव

ज्ञापांक–अ०सं०क०–07–म०–06/2022........................../ पटना, दिनांक...........
प्रतिलिपि–सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव